



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)



सं0केभनिCWC / 111-71 / ईडीED-2018 / 7(1)(f) / बी.एण्ड.सीB&C दिनांक Dated 22.03.018 **BY SPEED POST**

सेवा में, To,

अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / सचिव, भण्डारण निगम अधिनियम 1962 की धारा 7(1) (एफ) के अन्तर्गत पंजीकृत सभी अंशधारी

The Chairman/Managing Director/Secretary, All Shareholders Regd. under section 7(1)(f) of the Warehousing Corporations Act, 1962.

विषय:- भण्डारण निगम अधिनियम 1962 की धारा 7(1) (एफ) के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों, निवेश न्यास एवं अन्य वित्तीय संस्थान, मान्यता प्राप्त संघ तथा कृषि उत्पाद अथवा अधिसूचित वस्तुओं का व्यापार करने वाली कम्पनियों के अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक का चुनाव।

Subject:- Election of Director under section 7(1) (f) of Warehousing Corporations Act, 1962 representing Insurance Companies, investment trusts and other financial institutions recognized associations and companies dealing in agricultural produce or notified commodities.

महोदय, Sir,

यह सूचित किया जाता है कि श्री के वी प्रदीप कुमार पुत्र श्री टी वी एस वारियर, निवासी 11/48 डी, सुकरुथम, श्रीनरसिम्हा नगर, कडुनगल्लूर ईस्ट, यू.सी. कालेज, पी.ओ. अलवाई तालुक, जिला एर्नाकुलम, केरल का केन्द्रीय भण्डारण निगम के निदेशक मण्डल में निदेशक के पद पर दिनांक 15.04.2018 से 14.04.2021 तक तीन वर्ष के लिए निर्विरोध चयन किया गया है। अतः दिनांक 29.05.2018 को होने वाली चुनाव बैठक निरस्त की जाती है।

It is to inform that Sh.K.V.Pradeep Kumar S/O Sh.T.V.S. Warriar, residing at 11/48 D, Sukrutham, Sree Narasimha Nagar, Kadungallur East, U.C. College, P.O. Always Taluk, Ernakulam District, Kerala is elected un-opposed as a Director on the Board of Directors of Central Warehousing Corporation for a period of three years with effect from 15.04.2018 to 14.04.2021. As such the election meeting scheduled to be held on 29.05.2018 has been **cancelled**.

कृपया यह आपको सूचनार्थ है।

This is for information please.

भवदीय,
Yours faithfully,

(ए.एस.गोपालन)
(A.S. Gopalan)
(सचिव)